

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

इजराय

मु.नं.32 सन् 2019

| तारीख हुक्म | हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---------------------------------|--|---|
| <p>14/11/19</p> <p>26/11/19</p> | <p>इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 59/19 कि.सू. ब.नाम शरकर आदि दावा डिक्री किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाया जाकर पत्रावाली दिनांक 26/11/19 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार सुजानगढ़ की पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार ने अवगत कराया कि निर्णय की पालना दिनांक 2/8/19 हो चुकी है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। निर्णय की पालना होने के कारण पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>26/11/19</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ़</p> | <p>2019</p> <p>00220</p> |

